रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 27] नई दिल्ली, गुरुवार, जनवरी 20, 1972/पौष 30, 1893

No 27]. NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 20, 1972/PAUSA, 30, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 20th January 1972

G.S.R. 34(E).—In exercise of the powers confered by sub-section (1) of Section 3 of the Extradition Act, 1962 (34 of 1962), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act, other than Chapter III, shall apply to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland with effect from the 20th day of January, 1972.

[No. L/413/4/71.]

Dr. S. P. JAGOTA,
Director (L&T).

वित्त मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1972

सा० का० नि० 34().—प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 (1962 का 34) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है

कि उक्त अधिनियम के, अध्याय 3 के सिवाए उपबन्ध 1972 के जनवरी मास के बीसवें दिन से ग्रेट ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम और उत्तरी आयरलैण्ड पर लागू होंगे ।

[स० एल०/413/4/71]

डा० एस० पी० जगोता,

निदेशक (वि० एवं संधि)

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972